12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED REDUCTION IN THE PROCUREMENT PRICE OF WHEAT AND CONSEQUENT RESENTMENT AMONG PEASANTS

श्री कमल मिश्र मधुकर (केसरिया) अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि व इस बारे में वक्तव्य दें :

"गेहूं की वसूली की कीमत हटाई जाने और उसके परिणामस्वरूप पंजाब और देश के अन्य भागों में किसानों में व्याप्त रोष के समाचार।"

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI F. A. AHMED) : Government have not yet taken a decision regarding the level of procurement price of wheat for the 1972-73 marketing season. During the last year the procurement prices of Red (indigenous) were fixed between Rs. 71/- and Rs. 74/ per quintal and the prices of all other varieties at Rs. 76/- per quintal. In their Report on "Price policy for rabi foodgrains for 1972-73 season" the Agricultural Prices Commission have recommended that 'the procurement prices of wheat be fixed uniformly for all the States at Rs. 66/- per quintal for the indigenous Red and Rs. 72/- per quintal for the indigenous common white and different Mexican varieties'.

Government have seen press reports regarding the resentment among the peasants in Punjab and other parts of the country against this recommendation of the Commission. Various views have been expressed in favour and against the views of the Commission through press and other media. The question of fixation of wheat prices for the ensuing rabi season, is under consideration of the Government and a final decision, will be taken only after considering the views of the Honourable Members and the Chief Ministers of States who are meeting in conference on the 13th and 14th April, 1972.

Government have adopted the policy of price support to the farmers, to ensure that the producer gets an incentive price, the consumer gets foodgrains at a reasonable price and the present trend of foodgrain output is sustained. To achieve these objectives of the price policy, the Food Corporation of India has been especially created to undertake massive marketing operation In deciding the procurement price of wheat for the coming marketing season, Government will ensure that both the interest of the producer and the consumer are fully protected.

श्री कमल मिश्र मधुकर : अध्यक्ष महोदय, जो बयान मन्त्री महोदय ने दिया है उस बयान से समस्याओं का निदान कैसे होगा और और समस्यायें कैसे पैदा हुई हैं इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। यह सवाल इसलिये महत्वपूर्ण हो गया है कि ट्रैडीशनली गेहूँ उपजाने वाले एरियाज पंजाब और हरयाणा के अलावा आज जो खेती में तरक्की हुई है उससे उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में भी गेहूं की पैदावार में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। हमारे बिहार में भी और खासकर चम्पारन जिले में जहां केवल धान पैदा होता था, वहां भी गेहूं की पैदावार हो रही है, लेकिन यह सवाल क्यों पैदा हुआ ? यह इसलिये पैदा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ लोक सभा में ; फिर ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें आशंकायें व्यक्त की गई कि गेहूँ की खेती में लोग अधिक लग गए हैं और दूसरी कैश क्राप्स की ओर ध्यान कम दे रहे हैं, जैसे दाल और तेलहन वगैरह है, तो उसके चलते आशंकायें पैदा की गई कि गेहूं की प्रोक्योरमेंट प्राइस घटा दी जाय जिससे लोग कैश क्राप्स की तरफ भी ध्यान दें। साथ ही इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा प्रचार करने में और जो रोस पैदा किया जा रहा है, उसमें बड़े काश्तकारों का भी हाथ है। वह इसलिए भी होता है, यह बात भी सत्य है कि खेती के मामले में अधिक मशीनों के प्रयोग करने और मशीनों की अधिक कीमतें बढ़ने, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ जाने तथा सिंचाई रेट में भी वृद्धि हो जाने के कारण, जैसे कि हमारे बिहार में ही सरकार

की 25 प्रतिशत सिंचाई का रेट बढाने की योजना है, इन सब कारणों से और उसके बाद किसानों को अपना कच्चा माल बेचने के बाद जो उसको अपने इस्तेमाल के लिए माल खरीदना पडता है उसमें अधिक दाम देना पड़ता है, इन सबसे गेहूं की कास्ट आफ प्रोडक्शन आज अधिक बढ गई है जो नई खेती की प्रणाली के चलते हो रहा है। तो आपने इस पर ध्यान नही दिया है, लेकिन साथ एक बात और भी है, दूसरा पहलू भी इसका है कन्ज्यूमर साइड और जितने वेतनभोगी लोग है, जो शहरों में रहने वाले है, गरीब किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, मध्यम वर्ग के लोग है या सरकारी कर्मचारी है जिनको गेहूँ खरीदना पड़ता है उनका सवाल भी इस बात पर विचार करते समय ध्यान में रखना पडेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि आपके देश मे पूंजीवादी मार्केटिंग सिस्टम के चलते किसानों की दोहरी लूट होती है। एक तरफ अपना कच्चा माल जो है, वह छोटे-छोटे किसान फसल के दिनों में बेच देते है सस्ते दामों पर। लेकिन वही गेहूं वह खरीदने जाएंगे तो उनको उसका ज्यादा दाम देना पड़ेगा। ऐसे ही धान और दूसरी फसलों के मामले में होता है। तो जब सरकार की तरफ से यह एलान किया गया है कि हमारा लक्ष्य समाजवाद है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के जरिए या फूड कार-पोरेशन के जरिए पूरे अन्न के थोक व्यापार को अपने हाथ मे लेने जा रही है या नही ? क्या इस बात के लिए सरकार गारन्टी करने जा रही है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस इस साल गेहूं की ज्यो की त्यों रखी जायेगी और आइन्दा साल भर पहले ही सरकार गेहूं की प्रोक्योरमेट प्राइस या दूसरी चीजों की प्रोक्योरमेंट प्राइस एलान कर देगी ताकि किसान अपनी खेती के पैटर्न को बदल सके और उसी के अनुरूप अपने को ढाल सके ? क्या सरकार इस बात के लिए भी तैयार है या नहीं कि एक तरफ जो किसानो को सस्ते दाम पर अपना माल बेच देना पड़ता है और दूसरी तरफ कपड़ा चीनी आदि अपने काम की चीजें अधिक दाम पर लेनी पड़ती हैं, तो इन दोनों में बैलेंस कायम किया जाय ताकि प्राइस लेवल जो है उसमें संतुलन रह सके ? और क्या इस बात के लिए सरकार का विचार है या नहीं कि ऐसी सीमा वह तय कर दे कि जिसमें छोटे किसान जो सामान बेचते हैं वह आप की जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है उसके अनुसार उनसे लिया जाय और बड़े काश्तकारों से लेवी के रूप में आप अन्न लें, गेहूं लें और प्राइस कमीशन ने जो सुझाव दिया है उस दर पर उनसे गेहूं लिया जाय ? तो इन सवालों के विषय में आप साफ तौर से बताइए कि आप कब तक फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के जरिए तमाम अन्न के थोक व्यापार को पूरा का पूरा अपने हाथ में लेने जा रहे है और उस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

SHRI F. A. AHMED. The hon. Member has advanced arguments in favour of retaining the present procurement price of wheat as also reasons against reduction of the price.

As I have pointed out in my statement, at present, the Government are considering various views expressed in this behalf both by the Members of Parliament, the Members of the Consultative Committee and the members of the Farmers' Forum and the views expressed in the Press for and against the increase of price and after consulting the Chief Ministers, a decision will be taken in this behalf and I hope, in taking a decision, we shall see that the interests of the producer as well as the consumer are kept in view.

श्री कमल मिश्र मधुकर : आपने यह नही बताया कि फूड कारपोरेशन पूरा अन्न का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने जा रही है या नही ?

SHRI F. A. AHMED : So far as the Food Corporation are concerned, they are going to take up the procurement of food-grains on a massive scale,

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : स्पीकर साहब, इस मसले ने पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यू॰ पी॰ गर्ज़ कि सारे मुल्क के किसानों में एक नई लहर पैदा की है। जरूरत तो इस बात की थी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर के बारे में किस तरह प्रोडक्शन होगी, किस कीमत पर लेंगे—इन सबके बारे मे एक सीधी और साफ पालिसी बनाती और यह तय करती कि हमारी क्राप पालिसी क्या होगी। लेकिन हो क्या रहा है—हम उस वक्त कीमत मुकर्रिर करते है जब पैदावार आ जाती है, जब किसान उस पर अपनी लागत लगा बैठता है। पिछले साल से लेकर अब तक हमारे एग्रीकल्चरल इन्पुट्स की कीमत बढी है, गवर्नमेट की अपनी ऐजेन्सीज यह बताती हैं—थ्रेशिग कास्ट पिछले साल आपने 100 रु॰ प्रति एकड़ रखी थी, नो-प्राफिट-नो लास के बेसिज पर उसको तय किया था, लेकिन इस साल आप 120 रु॰ थेशिग कास्ट ले रहे है। फर्टिलाइजर की कास्ट बढी है, ट्रेक्टर्स की कास्ट बढी है। लेकिन अब जब प्रोडक्शन आई है तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी कोई पालिसी ही नही है, हम को कोल्ड-फीवर हो गया है, पैदावार ज्यादा देख कर घबराहट हो गई है।

जहा तक सब्सिडी का ताल्लुक है—आप हमें बता रहे है कि 120 करोड रु॰ सब्सिडी पर खर्च होगा, 100 करोड रुपया बजट मे रखा गया है, लेकिन तकरीबन 55 करोड़ रुपया आप जो इस वक्त खर्च कर रहे हैं, इसमे से बचा सकते हैं। आप इसमें से 40 करोड रुपया किस को देते हैं? मिडिल-मैन देते हैं? मिडिल-मैन कौन है? वह मिल-ओनर है, जो गन्दुम पीसता है, जो डीपो चलाता है, उसको आप 40 करोड रुपये की बोरियां फ्री दे रहे है। सब्सिडी की जरूरत कन्ज्यूमर को है, प्रोड्यूसर को है, लेकिन उनको आप कुछ नहीं दे रहे है, बल्कि मिल-ओनर को 40 करोड़ रुपया दे रहे है। अब इस वक्त जो 20 करोड़ रुपये की कमी है, अगर आप 40 करोड़ रुपया जो मिल-ओनर को बोरी की कीमत की शक्ल मे दे रहे हैं, बचा लें तो यह घाटा पूरा हो सकता है।

दूसरी तजवीज यह है कि आप पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यू॰ पी॰ से 76 रु॰ में अनाज लेते है, उस पर 2 रु॰ गवर्नमेन्ट की कास्ट आती है, 78 रु॰ से आप दूसरे सूबो को बेच देते है, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल को बेचते है और वहाँ पर आपने स्टेट्स को एलाउ किया है कि वे 84 रु॰ और 86 रु॰ मे कन्ज्यूमर को दे। वे कह रहे हैं कि यह हमारा रेकरिंग खर्चा है। इसको आप बचा सकते हैं, रोक सकते हैं और इसमे से आधी कीमत बचा कर सेंट्रल पूल में पैसा डालें तो फिर किसान को सब्सिडी क्यों नही दी जा सकती—इन प्वाइन्ट्स की तरफ आपको देखना चाहिये।

तीसरी बात—पजाब और हरियाणा के जो आकड़े मुझे मिले हैं, उनके मुताबिक 230 करोड़ रुपया पजाब और हरियाणा के किसानो को बैंको का कर्जा देना है। इसलिये अगर आप अब कीमत घटायेंगे तो उसकी लोन वापस करने की कैपसिटी कम हो जायेगी, वह बैंक से लिया हुआ कर्जा वापस नही कर पायेगा। अगर बैंकों से लिया कर्जा वापस नही कर पायेगा तो अगली फसल के लिए बैंक उसको नया कर्जा नहीं देंगे—इस नये क्राइसिज को रोकना चाहिए। इसलिए एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने जो रिकमेन्डेशन्ज की हैं, वे अन-रीयलिस्टिक है, वे आज के हालात के मुताबिक नही है, उसमें किसानों के नुमाइन्दे नही थे। कमीशन ने देखा कि पी॰एल॰ 480 का कितना कुशन हमें मिलता है, आज उसका जो इम्पोर्ट बन्द कर रहे हैं, उससे कितना नुकसान होगा, उस नुकसान को प्रोडयूसर कितना उठाये, यह सोच कर उन्होंने रिकमेन्डेशन दे दी है, जो आज के हालात के मुताबिक नही है। जरूरत इस बात की है कि जो तजवीज मैंने दी है—40 करोड़ रुपये की बोरी के बारे में या दूसरे सूबों में जो

ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, वहां पर इन-एफिसियेन्सी को रोक कर रुपया सैन्ट्रल पूल में लाइये और जो 50-55 करोड़ रुपये के दर-मियान रुपया जाया किया जा रहा है, इससे किसानों को सब्सिडी दी जा सकती है और कन्ज्यूमर की मदद की जा सकती है।

आज हमारे कई साथी कहते हैं कि यह कुलक-क्लास है, लैन्डेड एरिस्टोक्रेसी बन रही है। लैन्डेड एरिस्टोक्रेसी हो सकती है, लेकिन 5 एकड़ वालों को क्या कहेंगे, 10 एकड़ वालों को क्या कहेंगे, 15 एकड़ वालों को क्या कहेंगे, आप को रंगदार ऐनक लगा कर नहीं बैठना चाहिए। उन साथियों को पंजाब, हरियाणा और वैस्टर्न यू०पी० में जो अनाज पैदा करते हैं, उन किसानों को देखना चाहिए, उनकी इकानामिक हालत को देखना चाहिये।......(**व्यवधान**)...

मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूं--आप सीलिंग लागू कीजिये, हम सपोर्ट करेंगे, पंजाब में भी अब सीलिंग करने की बात आई है, हम उसके हक में नहीं हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाइए हम उसको सपोर्ट करेंगे, आप सीलिंग लागू कीजिए—हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर इकानामी डस्ट्राय करेंगे तो उसकी मुखाल्फत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न क्या पूछा? आप ने तो मशविरे दिये हैं, प्रश्न नहीं पूछा।

श्री सतपाल कपूर: मैंने तीन सवाल पूछे हैं...

SHRI F. A. AHMAD : The hon. member has made a suggestion which will be considered.

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा, लेकिन इसमें कहीं भी यह दिखाई नहीं पड़ा कि माननीय मंत्री जी किसानों को राहत पहुंचाने या उनके हित हों, इस दृष्टि से कुछ विचार रखते हों। जहां तक किसानों के प्रदर्शन का सवाल है, उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन मैं उनसे जानना चाहूंगा कि देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयो ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, या सब विश्वविद्यालयों ने जो मत व्यक्त किये हैं, उस दृष्टि से गेहूं की लागत मूल्य 95 रुपये कम से कम बैठती है, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। आपने एक बात जरूर कही है कि हम न तो उत्पादन घटाने के पक्ष में हैं और न उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर देने के पक्ष में हैं, उत्पादक को भी ठीक दाम मिले, इस दृष्टि से इन तीनों में ठीक ताल-मेल बैठाने की आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ताल-मेल बैठाने की दृष्टि से किसानों का जो लागत मूल्य है—बीज, सिंचाई, कटाई, मजिया तक ले जाने की ढुलाई—इन सब पर जो खर्च आता है, क्या आप के कमीशन ने इन सब के बारे में विचार किया है और सरकार उससे सन्तुष्ट है? अगर नहीं किया है तो उसने इन बातों को क्यों छोड़ा, कृषि मूल्य आयोग का जो मानदण्ड है, वह क्या है?

आप का प्रोक्योंमेंन्ट पर आने वाला खर्च पिछले वर्षों में 11% तथा 24% तक रहा और इस वर्ष आप ने खर्च कैसे निर्धारित किया है और वास्तविक जो खर्च होनेवाला है, वह कितना है? मेरा मत है कि प्रोक्योंमेन्ट पर जो वास्तविक खर्च होता है लगभग 6% बैठता है यदि आप उसको ही लेवे तो उत्पादक को पूरे दाम मिलेंगे और उपभोक्ता को सस्ते मूल्य पर दे सकते हैं तथा किसानों में अनाज पैदा करने की रुचि बढ़ सकती है। वर्ना जैसे अन्य नकद फसलों का उत्पादन घट रहा है, वही स्थिति यहां भी आ सकती है। वास्तव में अभी तक आप की कोई नीति ही नहीं रही है। यदि अमुक वस्तु का मूल्य साल भर पहले या 6 महीने पहले घोषित कर दिया जाय तो किसान उस तरफ प्रोत्साहित होकर आगे आयेगा। कृषि की अनिश्चित नीति के कारण आज किसान का मनोबल टूट रहा है।

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

गेहूं का उत्पादन बढ़ा है । चावल का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन और दूसरी वाणिज्य फसलों का उत्पादन घटा है। यदि गेहूं का उत्पादन बढ़ा है और उसके लिए प्रोत्साहन मूल्य नहीं दिए गए बल्कि मूल्यों को कम करने की बात की गई जैसे कि सरकार 66 रुपया प्रति क्वींटल गेहूं का दाम रखना चाहती है तो उससे किसानों का मनोबल टूट जायेगा और उत्पादन पुनः घटेगा। तो इस सम्बंध में सरकार कौन-सा विचार कर रही है कि उपभोक्ता को उचित कीमत पर अनाज मिले और किसान को भी गेहूं की उपज का लागत के हिसाब से सही दाम मिले क्योंकि अब किसान की उपज की लागत बहुत ज्यादा हो गई है, 110 और 115 रुपया प्रति क्वीटल की लागत बैठती है । 75 अथवा 76 रुपये प्रति क्वींटल का भाव सरकार ने जो रखा था उससे भी उससे छोटे किसान बहुत पीड़ित हैं । श्रीमन् हमारे मध्य प्रदेश में एक सैम्पिल सर्वे हुआ था, रीवा में कृषकों का एक प्रशिक्षण केन्द्र है वहां पर किए गए सैम्पिल सर्वे के अनुसार लागत मूल्य प्रति क्वीटल 105 रुपए छोटे किसानो के लिए आई और बड़े किसानो के लिए कुछ कम बैठी । तो किसानों को लागत मूल्य के हिसाब से दाम मिले इसके लिए सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है—इसके सम्बन्ध मे मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार किसानो को अधिकतम प्रोत्साहन मूल्य देगी जिससे कि किसान गेहूं का अधिकाधिक उत्पादन कर खाद्यस्थिति को मजबूत बनाने मे योग दे सके ।

SHRI F. A. AHMED : So far as the cost of production is concerned, an attempt has been made to make an assessment by the Agricultural University at Ludhiana, and also by the Statistics Department of the Punjab Government. They gave certain figures which were taken into consideration by the prices Commission. The Prices Commission have not accepted these figures as correct. (*Interruption*)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Has the Commission given any reason for it ?

SHRI F. A. AHMED : They have. If the hon. Members will be pleased to look at the report, they will find the reasons which they have given there. But I can assure the house that so far as the figures regarding the cost of production are concerned, we have taken steps in our Agriculture Ministry to set up a Cell through which we are collecting data, and I hope by next year it will be possible for us to get the actual cost of production of at least two crops, namely, rice and wheat.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Then there should be no price reduction in the meanwhile.

SHRI F. A. AHMED : That is the action which we have taken. So far as the arguments against the reduction of the existing price are concerned, those arguments have been advanced, both for and against the price reduction, and the Government has not yet taken a decision. As I have pointed out, we shall keep in mind the interests of the consumers as well as the producers, while taking a decision after we have heard the views of the Chief Ministers at the Chief Ministers' Conference.

SHRI VIKRAM MAHAJAN (Kangra) : Sir, the prosperity of India depends on the prosperity of the farmer. (*Interruption*)

AN HON MEMBER : Which farmer ?

SHRI VIKAM MAHAJAN : The small farmer. If India has to prosper, the farmer who owns land to an extent of an acre, even half an acre or one kanal—he is a small farmer—has to prosper Whatever price you will fix should be adequate to the farmer also. The prosperity of India depends on the prosperity of the small farmer who owns one acre of land.

With this laudable object in view, for the prosperity of the farmer, the small farmer, the Government appointed the Agricultural Prices Commission. It was a very good object. The object was to give a supporting price. But what did the bureaucracy do ? Here is a very interesting item which appeared in the newspapers which I wish to read. It is the statement by the Minister. It says :

"Mr Fakruddin Ali Ahmed, the Minister, admitted that there was no agriculturist on the Agricultural Prices Commission."

This is how we are going to give relief to the farmer, by appointing a Commission on which there was no agriculturist. It is like appointing a cobbler to perform the function of a dentist. What I want to know if, how this Commission is able to realise the difficulties of the agriculturists. That is why this price has been fixed, when the prices of fertilisers, tractors, water—pumps—everything—have gone up I want to put a few questions to the hon. Minister and I want clear answers on those points.

Tell me what is the percentage of unirrigated land in india, as compared to irrigated land. How many model farms on unirrigated land were taken into consideration by the Agricultural Prices Commission before fixing the price of wheat and any other agricultural product? Which unirrigated farms did they take up, and where are they? What is the cost of production of, say, one quintal of wheat in those farms? Give us specific answers. (*Inetrruption*) What are you talking, Mr Nahata? You do not know unirrigated land produces wheat.

I wish we have a training school for MPs. Some of them do not know that wheat is grown on unirrigated land. Secondly, what is the percentage of unirrigated land in India? Thirdly, what prevents you from announcing the price policy six months before the present crop came in the market? Will you in future announce your price policy six months before the crop comes into the market? I am told FCI is running at a loss and is not able to manage the show because its cost of procurement and its cost of management have gone up. If that is the object and you want to reduce the procurement price to help the FCI, are you willing to appoint a Commission to go into the working of FCI and see that its cost of procurement and distribution goes down? So that the cut does not fall on the producer? I want a categorical answer to these questions.

SHRI F. A. AHMED The percentage of unirrigated land to irrigated land is 50 per cent so far as wheat is concerned. The production is about 20 per cent. What factors have been taken into consideration by the Agricultural Prices Commission, I am not aware of. As I have already said, we have no data on the basis of which we can say what is the cost of production of wheat or any other produce in the country. For that purpose, we have taken action in our Ministry through which we are making an effort to collect the data and I hope by next year, it would be possible for us to know the cost of production.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: They say they are going to reduce the price but they do not know how the cost of production has been arrived at! It is a rather strange and unsatisfactory answer.

SHRI F. A. AHMED: I have given a clear answer. I do not want to conceal the information which I have with me. (*Interruption*).

MR. SPEAKER: Mr Mahajan, I know you are a young man set against on old man, but should not go on interrupting like this.

SHRI F. A. AHMED: The present procurement price has been in existence for the last three years. At the time when it was fixed, it was drought season and very high prices were prevailing in the country. It has been possible for the cultivators to grow more wheat and have an incentive for the purpose of bringing more area under wheat cultivation. So, it is apparent that the prices which are now offered are remunerative enough so far as the farmer and cultivator are concerned. So far as the argument against the reduction of the price is concerned, we shall take a decision in the matter after we have heard the Chief Ministers.

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर): मैं मन्त्री जी का ध्यान उनके कृषि मन्त्रालय की कृषि नीति की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मूल्य का निर्धारण करने के लिए हमें कुछ समय की जरूरत है। मेरे पास माननीय मन्त्री के ही विभाग के कुछ आंकड़े मौजूद हैं। नेशनल सीड्स कारपोरेशन ने जो सिफारिशें की हैं मैं उन सिफारिशों को मन्त्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं।

[श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय गोरखपुर]

मैं जानना चाहता हू कि क्या मन्त्री जी के मत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया गया है ? जो नेशनल सीड्स कारपोरेशन ने गेहू के दाम के बारे मे बतलाया है कि प्रति एकड लागत मूल्य इतना पडता है और उसके बारे में जो उसने 13 सिफारिशे की हैं क्या उनकी तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान गया है, यदि गया है तो गेहू की प्राइस को फिक्स करते समय वे उन बातो को अपने ध्यान मे रखने की कृपा करेंगे ?

मैं अब नेशनल सीड्स कारपोरेशन की गेहू की लागत के बारे मे की गई सिफारिशो को पढ़ना चाहूगा। पहली उसकी सिफारिश यह है कि जुताई चार बार करनी पडेगी, प्रति एकड लागत मूल्य 60 रुपये । पाच बार सिचाई करनी पडेगी लागत 200 रुपये । उर्वरक 240 रुपये के डालेगे । बीज 150 रुपये के डालेगे । गहराई में 150 रुपये, कटाई मे 50 रुपये, निराई मे 10 रुपये, और छटाई मे 10 रुपये पडेगे । श्रम व भूमि के रूप मे पूंजी 800 रुपये होगी । मजदूरी मे 50 रुपये कौस्ट पडेगी । रखवाली मे 50 रुपये कौस्ट पडेगी । कीटनाशक दवाए 60 रुपये बैठेगी जबकि मंडी-यातायात मे 20 रुपये खर्च आयेगे । इस तरह से आप देखेगे कि गेहू का कुल लागत मूल्य प्रति एकड का जाकर 1760 रुपये पड़ेगा और उपज 40 मन मे 45 मन तक होगी । क्या नेशनल सीडस कारपोरेशन ने यह जो आकडे दिये हैं और गेहूँ का प्रति एकड लागत मूल्य बताया है उसकी तरफ माननीय मन्त्री का, उन के मन्त्रालय का या जो उन्होने प्राइस कमिशन नियुक्त किया है उसकी तरफ गया है ?

श्रीमन्, एग्रीकलचरल प्राइस कमिशन की रिपोर्ट को जोकि मेरे सामने मौजूद है मैंने पढ़ा है । यह मैंने लाइब्रेरी से प्राप्त की है। यह और कही से नही हैं । एग्रीकलचरल प्राइस कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर उसके सी और डी पार्ट को अगर देखा जाय और इस सारी रिपोर्ट को पढ़ा जाय तो एक ही बात समझ मे आयेगी और वह बात यह है कि इन को हैंडलिंग चार्जेज मे काफी पैसा खर्च करना पडेगा । सारे हैंडलिंग चार्जेज के पैसे को जो इन्होने खर्च किया है, सबसिडी मे जो पैसा इन्होने खर्च किया है उस पैसे को यह कोस्ट के ऊपर गेहूँ के खरीद के दाम के ऊपर लगाना चाहते हैं निर्धारित करना चाहते है यह इस प्राइस कमिशन की रिपोर्ट है । इसके अलावा इस प्राइस कमिशन को अगर मैं यह कहू कि वेस्ट पेपर है तो उसमे कोई अतिशयोक्ति नही होगी । यह उनकी सिफारिश है और उसके ऊपर यह प्राइसेज तय करने जा रहे है तो मैं जानना चाहता हू कि यह बात वास्तविक है या नही ?

श्रीमन्, मैं मत्री महोदय तथा कृषि मत्रा- का ध्यान जो मैने चीनी की नीति के बारे मे कहा था उस ओर दिलाना चाहता हू। मैने कहा था कि आप की चीनी की पैदावार कम होने जा रही है और मैंने चेतावनी दी थी कि चीनी के भाव ऊँचे जा सकते हैं। 3 रुपये 25 पैसे प्रति किलो से लेकर 5 रुपये प्रति किलो तक जा सकते हैं। आप फुल कंट्रोल कीजिए । सप्लाई अब जहां पर चीजो की पैदावार कम होती है तो उसमे वितरण पर कट्रोल किया जाना चाहिए और डिमाड के आधार पर चीनी की नीति चलाइये । माननीय मत्री ने उस समय इस चीज को स्वीकार नही किया और परिणाम हम देख रहे है कि चीनी के भाव कितने ऊँचे हैं । 60 परसेंट चीनी आप राशन शॉप्स मे दे रहे हैं लेकिन 40 परसेंट के लिए मिलमालिको को आपने खुली छूट दे रक्खी है।

आज चीनी के दाम की क्या हालत हो रही है और कज्यूमर्स किस तरह से परेशान हो रहे हैं । आप ने ही सन् 1968 मे नेशनल फूड पालिसी अख्त्यार की और सन् 1969 में आपने नेशनल फुड पालिसी के औबजैक्टिव्स के लिए कहा कि वे तबदील न किये जायें और उन्हें इस तरह से रिस्टेट किया और यह तीन सिफारिशें आपने की थीं ;

"(i) to ensure a reasonable price to the producer to sustain his interest in increasing production by adoption of improved methods of cultivation ;

(ii) to ensure that consumer Prices do not rise unduly and the interests of the vulnerable groups are safeguarded ; and

(iii) to build up a sizeable buffer stock with a view to avoiding excessive intra-seasonal and intra-seasonal fluctuations in supply and prices."

यह आपने तय किया और इस तौर पर अपनी राष्ट्रीय खाद्य नीति बतलाई। आज इसका प्रोडक्शन हमारे सामने है। जहां सन् 1966-67 मे 11,393 टन आपकी पैदावार हुई वहां सन् 1970-71 में उसकी पैदावार बढ़ कर 23,520 टन हो गयी। आवश्यकता इस बात कि है कि उत्पादन वृद्धि की यह गति धीमी न पड़े और कृषि उत्पादन सतुलित रहे। अतएव यह आवश्यक है कि किसानो को उन की उपज का उसी प्रकार लाभकारी मूल्य दिलाने की व्यवस्था की जाय जिस प्रकार औद्योगिक उत्पादनों के लिए व्यवस्था है। लेकिन खेद के साथ कहना पडता है कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने की ओर कोई ध्यान नही है। कज्यूमर्स प्राइस निर्धारित की जाती है और फुटकर मूल्य निर्धारित किए जाते है, आज मजदूर चिल्लाते हैं कि या तो उन्हें और महगाई भत्ता बढा कर दिया जाय वरना सस्ती दर पर अनाज मुहैय्या किया जाय लेकिन किसान जो कि अनाज पैदा करने वाला है चूकि वह उतना वोकल नही है इसलिए उधर सरकार का ध्यान नही जाता है। मै मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बारे में कोई अपनी नीति निर्धारित की है? अपनी मूल्य नीति के सम्बन्ध में कोई उन्होंने बोर्ड या कोई कारपोरेशन बनाया है जो कि हर साल उसको रैव्यु करे और फिर दाम तय करे। मैं अपने मित्र श्री नाहाटा को बतलाना चाहता हूं कि उनके सोशलिस्ट मुल्कों मे भी पोलैंड में भी जबकि क्रोप पैदा होती है तो पहले उसकी फुटकर नीति निर्धारित होती है, बाजार भाव तय किये जाते हैं। श्री वाजपेयी मेरे साथ उस डेपुटेशन में गये थे और उन्होंने भी उस चीज के बारे में अध्ययन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को उनकी उपज के दाम के बारे में सरकार ने अभी तक कोई नीति निर्धारित क्यों नहीं की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसानों को उचित लाभकारी मूल्य देने की नीति सरकार निर्धारित नही करेगी तो फिर किसानों की गेहूं के उत्पादन मे रुची नहीं रहेगी। आज किसान लगातार उत्पादन बढाता जा रहा है और वह ग्रीन रैवोलूशन की तरफ जा रहा है लेकिन इसके साथ ही वह यह अवश्य चाहता है कि उसे सरकार की ओर से लागत मूल्य को देखते हुए उचित मूल्य उसी की फसल का उसे अवश्य मिले क्योंकि आखिर वह भी अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरना चाहता है। इसलिए कृषि उत्पादन का मूल्य तय करते समय इस तथ्य को नजरअन्दाज नही करना चाहिए। मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है और मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह उसमें गेहूं का भाव कम करने जा रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसान सगठित हो रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे आज उत्पादन करने मे जो लागत आती है उसे ध्यान मे रखते हुए उसे उसकी फसल के दाम मिलने नही जा रहे है। मैं चाहता हूं कि सरकार को किसानों को उनकी उपज के उचित और लाभकारी मूल्य देने चाहिएं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इन सारी चीजों को ध्यान मे रखते हुए जवाब दें ताकि कज्यूमर्स भी खुश रह सके और उसके लिए सरकार कज्यूमर्स को गेहूं को सहायता मूल्य पर देने की व्यवस्था कर सकती है।

इस तरह से किसान और कंज्यूमर्स दोनों

खुश रह सकेंगे । सरकार को इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए ।

SHRI F.A. AHMED : I do not think I am supposed to reply to the hon. Member because the objectives of the policy which the hon. Member has brought before this House are such with which no one differs and which are accepted by everyone. We are also in favour of looking into the interests both of the producer as well as of the consumer. Keeping in view the interests of both the producer and the consumer we shall certainly take a decision on the basis of all the views which have been expressed both in this House as well as in the Rajya Sabha also by the Prices Commission.

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer) : Only the producer's point of view has been placed and not the consumer's .. ..(*Interruption*).

12.38 : hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER INDIAN TELEGRAPH ACT, 1885

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KEDAR NATH SINGH): Sir, on behalf of Shri H.N. Bahuguna,

I beg to lay on the Table—

(i) A copy of the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificates of Proficiency and Licence to operate Wireless Telegraphy) Amendment Rules, 1971 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1470 in Gazette of India dated the 9th October, 1971, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.

(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Notification. [*Placed in Library, see* No. LT—1713/72].

U.P.S.C. (EXEMPTION FROM CONSULTATION) AMENDMENT REGULATIONS 1971. AIS (D.A) RULES 1972 AND REPORT OF COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) :

(1) I beg to re-lay on the Table a copy of the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 1971 (Hindi and English versions) Published in Notification No. G.S R. 1654 in Gazette of India dated the 6th November, 1971, under clause (5) of article 320 of the Constitution, together with an explanatory note. [*Placed in Library See* No. LT-1714/72]

(2) I beg to lay on the Table—

(i) A Note (Hindi and English versions) explaining the reasons for re-laying the Notification mentioned at (1) above.

(ii) A copy of the All India Services (Dearness Allowance) Rules, 1972 (Hindi and English versions) Published in Notification No. G.S.R. 362 in Gazette of India dated the 25th March, 1972, under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951. [*Placed in Library. See* No. LT-1715/72]

(iii) (a) A copy of the Twelfth Report (Hindi and English versions) of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period 1st July, 1969 to 30th June, 1970, under clause (2) of article 350B of the Constitution.

(b) A statement (Hindi and English versions) showing the reasons for delay in laying the above Report [*Placed in Library, See* No. LT—1716/72]